अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग से आवासीय योजना सृजित

राजस्थान आवासन बोर्ड की मैराथन बैठक

50 से अधिक प्रकरणों का किया निस्तारण

महानगर संवाददाता

जयपुर। आवासन मंडल मुख्यालय में सोमवार को अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 234वीं बैठक हुई। मैराथन बैठक में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए नई आवासीय योजना सृजित करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'अपनी दुकान-अपना व्यवसाय' योजना सहित लगभग लगभग 50 प्रकरणों को निस्तारित किया गया। बैठक में कोचिंग हब की कार्य प्रगति का आर्किटेक्ट राजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रस्तुतिकरण दिया। इस दौरान निर्णय किया गया कि 2001 से पूर्व के आवासों के आवंटियों द्वारा बकाया मासिक किस्तों की राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट तथा एमआईजी-बी व एचआईजी श्रेणी के आवेदकों को ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट 31 दिसंबर तक प्रभावी होगी।

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रताप नगर सेक्टर 17 में अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस) के राजस्थान संवर्ग के अधिकारियों के लिए 'एआईएस रेजीडेंसी' आवासीय योजना सृजित की गई है। यह योजना स्ववित्त पोषित होगी। इस योजना में 192 बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। एक फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल 3,211 वर्ग फीट होगा। यह फ्लैट 3 बीएचके होगा, जिसमें एक ड्राइंग रूम और एक सर्वेंट रूम भी बनाया जाएगा। एक फ्लैट की अनुमानित लागत लगभग 91 लाख 58 हजार रुपए होगी।

क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट सहित अन्य सुविधाएं होंगी

इस योजना में एक क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, स्विमिंग पूल, स्पा, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, जिम्नेजियम, कॉन्फ्रेंस रूम, गेस्ट हाउस, टेनिस कोर्ट, सेंट्रल लॉन एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ओपन जिम, इंटरनल वॉक वेस, सिक्योरिटी सिस्टम, 24 घंटे पेयजल आपूर्ति और सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। अरोड़ा ने बताया कि योजना में विकसित किए जाने वाले क्लब हाउस का रख-रखाव एवं संचालन एआईएस ग्रुप हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा किया जाएगा, लेकिन सफाई, रख-रखाव एवं संधारण अन्य योजनाओं की भांति रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया जाएगा।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च होगी 'अपनी दुकान-अपना व्यवसाय' योजना

अरोड़ा ने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मंडल द्वारा 2 अक्टूबर को 'अपनी दुकान-अपना व्यवसाय' योजना लांच की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 1544 व्यावसायिक भूखंड या निर्मित दुकानें, जो 27 वर्गमीटर तक के आकार की हैं, उन्हें ई-बिड सबमिशन के माध्यम से बेचा जाएगा और जिन 137 दुकानों या भूखंडों का आकार 27 वर्गमीटर से अधिक है, उनका निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। इस तरह 1681 व्यावसायिक भूखंडों या निर्मित दुकानों का निस्तारण इस योजना के तहत किया जाएगा।